

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2017—पौष 23, शक 1938

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 09 जनवरी 2017

क्र. 1023-डुडा / छिन्दवाड़ा-दिनांक-10-01-2017.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5क (1) तथा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, छिन्दवाड़ा जिले की जुन्नारदेव तहसील में नगरपालिका परिषद् दमुआ के क्षेत्र की सीमाओं में स्थित स्थानीय क्षेत्र को पृथक् करने के अपने अभिप्राय को प्रकट करता है और उक्त स्थानीय क्षेत्र की सीमाएं नीचे अनुसूची- एक में दिये गये रूप में निश्चित करता है.

इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात के संबंध में उक्त अनुसूची में निश्चित किये गये स्थानीय क्षेत्र के किसी व्यस्क निवासी की किसी भी आपत्ति पर जो कि कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

अनुसूची - एक

छिन्दवाड़ा जिले की जुन्नारदेव तहसील की नगरपालिका परिषद् दमुआ से पृथक् किए जाने वाले प्रस्ताविक स्थानीय क्षेत्र का विवरण :—

अनु.	जिला	तहसील का नाम	अपवर्जित होने वाले वार्ड का नाम	अपवर्जित होने वाले क्षेत्र का नाम	पृथक् किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का विवरण तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	रानी दुर्गावती वार्ड (नंदौरा)	नंदौरा बस्ती	120 हेक्ट.	संपूर्ण क्षेत्र
2	छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	रानी दुर्गावती वार्ड (नंदौरा)	लुक्काढाना	55 हेक्ट.	संपूर्ण क्षेत्र
3	छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	रानी दुर्गावती वार्ड (नंदौरा)	चिमनीढाना	125 हेक्ट.	संपूर्ण क्षेत्र
4	छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	रानी दुर्गावती वार्ड (नंदौरा)	डुडमंगल	150 हेक्ट.	संपूर्ण क्षेत्र
योग . .					450 हेक्ट.	

अपवर्जित होने वाले 1317 150 हेक्ट.

क्षेत्र की कुल जनसंख्या.

दमुआ नगर की 23346

जनसंख्या.

कुल योग . . 24663

अनुसूची—दो

अनुसूची—एक में दर्शाए गए क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका दमुआ की पुनरीक्षित सीमा

उत्तर—ग्राम भाखरा की बाहरी राजस्व सीमा तक.

पूर्व—तीन पुलिया हमारे हनुमान मंदिर के पास नंदौरा बस्ती तक.

दक्षिण—ग्राम सेमरकुही एवं ब्रजपुरा की बाहरी राजस्व सीमा तक.

पश्चिम—ग्राम राखीकोल एवं धाउ की बाहरी राजस्व सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. 1023-जिशिविआ-2017.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1023-जिशिविआ, दिनांक 10 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Chhindwara, the 9th January, 2017.

No. 1023-Duda-Chhindwara Date-10-1-17.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5-A and 6 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh un pleased to exclude the areas mentioned in Schedule-1 below from the Limits of the Municipality Council Damua, District Chhindwara, namely:—

SCHEDULE-1

The area of the Ward exclude from the limits of Municipality Council Damua shall follows:—

S. No.	District	Tehsil	Names of Ward to be excluded	Names of Areas to be excluded	Areas to be excluded in hectare	Limits of the area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Chhindwara	Junnardeo	Rani Durgawati Ward (Nandora)	Nandora Basti	120 hec.	Whole of the Area
2	Chhindwara	Junnardeo	Rani Durgawati Ward (Nandora)	Lookahdhana	55 hec.	Whole of the Area
3	Chhindwara	Junnardeo	Rani Durgawati Ward (Nandora)	Chimnidhana	125 hec.	Whole of the Area
4	Chhindwara	Junnardeo	Rani Durgawati Ward (Nandora)	Dundmangal	150 hec.	Whole of the Area
Total . .					450 hec.	

SCHEDULE-II

The revised boundaries of the Municipality Council Damua after excluding in area prescribed in Schedule-I above area as follows:—

North—Outer revenue boundary of village Bhakra.

East—Outer revenue boundary of nandora basti and near about hamare hanuman mandir and teen puliya.

South—Outer revenue boundary of village Semarkuhi and Brajpura.

West—Outer revenue boundary of Village Rakhikol and Dhau.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. K. JAIN, Collector and Ex-Officio Dy. Secy.